

02-05-18

अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री पी0एन0 भटेले ने शीघ्र सुनवाई आवेदन पेशकर निवेदन किया कि प्रति प्रकरण में आज तिथि नियत है। प्रकरण आज पेशी में लिए जाने का निवेदन किया। आवेदन स्वीकार कर प्रकरण आज पेशी में लिया गया।

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री पी0एन0 भटेले।

फरियादी धर्मेन्द्र व नरेन्द्र श्रीवास्तव उप0। उन्होंने प्रकरण में राजीनामा की संभावना व्यक्त की।

उभय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुये प्रकरण में मध्यस्थता के माध्यम से उभय पक्षों के मध्य विवाद का पूर्ण रूप से निराकरण होना संभव प्रतीत होता है। अतः मध्यस्थता के लिए एक उपयुक्त प्रकरण है।

उभयपक्षों से मध्यस्थता के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा प्रशिक्षित मध्यस्थ श्री एस0के0 गुप्ता, एएसजे गोहद का चुनाव किया है।

अतः मध्यस्थता सम्प्रेषण आदेश उभय पक्षों व उनके अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर कर मध्यस्थता हेतु उपरोक्त मध्यस्थ को भेजा जाये। उभय पक्ष आज ही कुछ समय पश्चात् मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित हों। मध्यस्थ को निर्देशित किया जाता है कि वे मध्यस्थता का परिणाम सफल/असफल जो भी हो आगामी नियत दिनांक तक सूचित करें।

प्रकरण आगामी दिनांक 23.05.2018 को मीडियेशन कार्यवाही के प्रतिवेदन की प्रस्तुती हेतु पेश हो।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)

पुनश्च:

राज्य द्वारा ए डी पी ओ अनुपस्थित।

अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री पी0एन0 भटेले।

फरियादी धर्मेन्द्र व नरेन्द्र सहित अधिवक्ता श्री कमलेश शर्मा।

प्रकरण मे मीडियेशन रिपोर्ट सफलता की टीप सहित प्रस्तुत।

फरियादी एवं आहत धर्मेन्द्र एवं नरेन्द्र की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320 द0प्र0स0 राजीनामा हेतु अनुमति बाबत् मय राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320-2 फरियादी एवं आहत के हस्ताक्षर, छायाचित्र युक्त प्रस्तुत किया गया। फरियादी एवं आहत की पहचान अधिवक्ता श्री कमलेश शर्मा एवं अभियुक्तगण की पहचान अधिवक्ता श्री पी0एन0 भटेले द्वारा की गई।

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी एवं आहत ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। फरियादी एवं आहत संविदा समर्थ होकर अपनी स्वतंत्र सहमति देने में समर्थ दर्शित हैं।

अभियुक्तगण पर भा0द0वि0 की धारा 294, 323 दो काउण्ट, 325 सहपठित धारा 34 एवं 506 बी के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 294, 323 दो काउण्ट, 325 सहपठित धारा 34 एवं 506 बी भा0द0वि0 के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की उक्त आरोपों के अधीन दोषमुक्ति होगा।

प्रकरण में जब्तशुदा लाठी मूल्यहीन होने से अपील अवधि बाद नष्ट की जावे।

आगामी दिनांक निरस्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्जकर नियत अवधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)